



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 1214]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939

I Md ifjogu vkj jkitekxl ea=ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 1 मई 2017

dk-vk- 1374¼½—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उपनियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट करती है कि कार्यालय ड्यूटी पर ऐसे यानों को जिन्हें निम्नलिखित आपात और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनके शीर्ष अग्रभाग पर बहु-रंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है:

(क) अग्नि को नियंत्रित करने से संबंधित कर्तव्यों;

(ख) पुलिस, रक्षा बलों अथवा अर्ध सैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्य;

(ग) भूकंप, बाढ़, भू-स्खनल, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं तथा नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा एवं जीववैज्ञानिक आपदा सहित मानवनिर्मित आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित कर्तव्य;

2. किसी यान पर बहु-रंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जाएगा जब वह नामनिर्दिष्ट कर्तव्य पर कार्यरत न हो।

3. प्रत्येक वर्ष, यथा स्थिति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का परिवहन विभाग उन प्रतिधिकारियों की सूची आम जनता की जानकारी में लाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिनको पैरा 1 में खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट यानों का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है और ऐसे यान ऐसे परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टिकर को अपनी विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा जो निम्नलिखित रूपविधान में होगा; अर्थात् :-

“सरकार (जारी करने वाले राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम)

अधिकारी (अधिकारी का पदाभिधान).....

यान नम्बर

4. एक समय बिन्दु पर एक यान के लिए पदाभिहित अधिकारी को केवल एक स्टिकर जारी किया जाएगा।

5. स्टिकर सुरक्षा—मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर होगा और इसमें संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परिवहन विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होलोग्राम भी होगा।

[फा. सं. आर.टी-11036/24/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVli .k % मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

S.O. 1374(E).—In pursuance of powers conferred under sub-rule 4 of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby specifies that the vehicles on office duty which are designated for the following emergency and disaster management duties may be allowed to use multi coloured red, blue and white light on its top, namely :-

- (a) the duties relating to control of fire;
- (b) the duties by police, defence forces or paramilitary forces for maintenance of law and order;
- (c) the duties relating to management of natural disasters including earthquake, flood, land slide, cyclone, tsunami and manmade disasters including nuclear disaster, chemical disaster and biological disaster.

2. The multi coloured light shall not be put to use when the vehicle is not on the designated duty.

3. Every year, the Transport Department of the State or Union territory Administration, as the case may be, shall issue a public notice bringing to the notice of the general public the list of authorities to whom the permission to use the vehicles specified in clauses (a) and (b) of paragraph 1 has been granted and such vehicles shall display on its windscreen the sticker issued by such Transport Department which shall be in the following format, namely:-

“Government of (name of issuing State Government of Union territory Administrations)

Designation of the Officer (s).....

Vehicle Number.....”.

4. Only one sticker shall be issued to the designated officer for one vehicle at one point of time.

5. The sticker shall be on security printed water mark paper and shall carry hologram as specified by the Transport Department of the concerned State Government or Union Territory Administration.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989.